



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55306

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10733 वर्ष 2026

देवेन्द्र कुमार एवं 2 अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: शारदा प्रसाद मिश्रा, सुभाष चंद्र मौर्य

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा, श्री सुभाष चंद्र मौर्य उपस्थित हुए और समझौता के आधार पर, थाना गुजैनी, जिला कानपुर नगर के मुकदमा अपराध संख्या 0046 वर्ष 2024 से उत्पन्न वाद संख्या 109427 वर्ष 2024, धारा 376, 504 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दिनांक 27.06.2024, समन आदेश दिनांक 22.10.2024 और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया।
2. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने कार्यवाही रद्द करने का विरोध किया क्योंकि मामला बलात्कार से संबंधित है, जिसका शमन नहीं किया जा सकता।
3. इस न्यायालय ने दिनांक 27.01.2026 के आदेश द्वारा समझौता सत्यापन के लिए भेजा था। वह आदेश नीचे दोहराया गया है:-

"1. अभियुक्त-आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद मिश्रा उपस्थित हुए और तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा 21.02.2024 को शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जो छह वर्षों से अधिक समय तक जारी रहा। यह भी आरोप है कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी और उसका गर्भपात कराया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उसके बाद, दोनों के बीच 18.02.2025 को विवाह संपन्न हो गया। विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 139 पर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पक्षकार मामले को जारी नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्होंने विवाह कर लिया है और अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक संख्या 2 आवेदक का सगा चाचा है। अतः, समझौते के आधार पर थाना गुजैनी, जिला कानपुर नगर के मुकदमा अपराध संख्या 0046 वर्ष 2024 से उत्पन्न वाद संख्या 109427 वर्ष 2024, धारा 376, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र, संज्ञान आदेश और कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राम जी ओझा ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख पर लिया जाता है। वह आवेदक संख्या 1 और विपक्षी संख्या 2 के बीच विवाह के तथ्य को स्वीकार करते हैं और आगे प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है और आवेदक संख्या 1 से विवाहित होने के कारण पीड़िता मामले को जारी नहीं रखना चाहती है।
 3. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यदि पक्षकार समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय जाते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं जताई है।
 4. उच्चतम न्यायालय ने मफत लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2022) 6 एससीसी 589 के मामले में अभियुक्त और पीड़िता के विवाह को देखते हुए धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के अपराध की प्राथमिकी और परिणामी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया है।
 5. यहाँ तक कि पॉक्सो अधिनियम के मामलों में भी, उच्चतम न्यायालय ने के. धनपाणि बनाम राज्य द्वारा निरीक्षक पुलिस द्वारा (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1056) के मामले में यह देखते हुए कि अभियुक्त और पीड़िता अपने वैवाहिक जीवन में खुशी-खुशी रह रहे हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और माना कि "यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकता और अपीलकर्ता तथा अभियोजनी के सुखी पारिवारिक जीवन को बिगाड़ नहीं सकता।"
 6. क्या पक्षकारों (सूचनादाता, पीड़िता और अभियुक्त) ने समझौता कर लिया है, इसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस प्रकार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और तीस दिनों के भीतर पक्षों के बीच हुआ समझौता दाखिल कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल प्रति को अपने अभिलेख में रखेगा।
 7. विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सूचनादाता, पीड़िता और अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता न हों और उसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। आकस्मिकता की स्थिति में, विचारण न्यायालय अपना विवेक प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
 8. दो महीने की अवधि के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है, अन्यथा, विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा।
 9. सभी पक्षकार, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसे सत्यापित करवाते हैं, फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का आह्वान करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।
 10. उपरोक्त के आलोक में, बीएनएसएस की धारा 528/सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।"
4. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 5, कानपुर नगर ने दिनांक 17.02.2026 के आदेश द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते को सत्यापित कर दिया है। प्रमाणित प्रति इस आवेदन के पृष्ठ संख्या 46 पर है।
5. जब पक्षकारों ने अपने मतभेद खत्म कर लिए हैं, तो विचारण जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मुख्य गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. अतः, उपरोक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या से उत्पन्न आरोप पत्र और कार्यवाही एतद्वारा रद्द की जाती है। परिणामस्वरूप, विचारण की कार्यवाही भी रद्द की जाती है।

7. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

18 मार्च, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"